



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

दिनांक: 14.02.2023

सार्वजनिक सूचना
(2023 का 02)

पीपीवी एंड एफआर नियम, 2003 के नियम 22(2) के तहत पीपीवीएफआर प्राधिकरण ने दिनांक 02.02.2023 को हुई 35वीं बैठक में निम्नलिखित फसल प्रजातियों की मौजूदा किस्मों के पंजीकरण की समय सीमा निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	फसल प्रजातियों के नाम	पौधा किस्मों जरनल में प्रकाशित किया गया	मौजूदा अधिसूचित किस्म और मौजूदा किस्म के पंजीकरण के लिए समय-सीमा	कृषक किस्म के पंजीकरण की समय-सीमा
1.	सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस एल. एफ.)	पौधा किस्मों जरनल भाग- 17 सं.02, 01 फरवरी, 2023 को 01 मार्च, 2023 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया	पौधा किस्म जरनल के प्रकाशन से 3 वर्षों की अवधि तक	पौधा किस्म जरनल के प्रकाशन से 10 वर्षों की अवधि तक
2.	कालाजीरा [बुनियम पर्सिकम (बायोस.) फेडट्स]			
3.	केसर (क्रोकस सेटिवस एल.)			
4.	सेम (लैबलैब परप्यूरियस (एल.) स्वी ट)			
5.	सफेद कद्दू (बेनिनकासा हिस्पिडा (थूनब.) कॉग्न.)			
6.	चिचिण्डा (ट्राइकोसेंथेस एंगुइना एल.)			
7.	कुंदरू (कोकिनिया ग्रैंडिस (एल.)			

-हस्ताक्षरित-
(डी.के. अग्रवाल)
महापंजीकार